निर्णय
24.12.2024

2024/723

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सुरजभान बनाम सोहनलाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 538 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.11.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 04.12.2024 को पेश हो। [initials]	
02.12.2024	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र मियाद पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी 1 ता 4 ने जरिये वकील श्रवण कुमार उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 4.12.2024 को पेश हो। [initials]	R.O. / [illegible] मौजूद अनिता शर्मिला
4.12.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली प्रतिवादी वास्ते स्टेट जवाब दिनांक 24.12.2024 को पेश हो। [signature]	
24.12.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] की सहमति के आधार पर वाद वादी [illegible] जाता है। पूर्ण विवरण सहित [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तकमीले जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:17:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 538/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
सुरजभान पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।

–वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री फुसाराम जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
2. मंजू पुत्री सोहनलाल पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ,राज0।
3. अनीता पुत्री सोहनलाल पत्नी राकेश जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ,राज0।
4. शर्मिला पुत्री सोहनलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादी
श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक– 24.12.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 2 के.के. एस.एम. के खाता संख्या 78/19 के पत्थर नम्बर 178/50(25) किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 178/58(26) किला नम्बर 21 ता 23 व पत्थर नम्बर 198/34(31) किला नम्बर 16, 17/2, 24/1, 25 व पत्थर नम्बर 198/42(32) किला नम्बर 8, 9, 11, 12, 20 इस प्रकार कुल 2.4530 हैक्टेयर में से वादी सुरजभान को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल को 1/3 हिस्सा का तथा चक नम्बर 5 के.के.एम. के पत्थर नम्बर 238/22(20) किला नम्बर 20, 21/2 व पत्थर नम्बर 238/30(21) किला नम्बर 1/2, 5/1, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21/1, 25/1 व पत्थर नम्बर 238/38(22) किला नम्बर 21/1 व पत्थर नम्बर 238/55(29) किला नम्बर 16/2, 17 ता 20 इस प्रकार कुल 4.0870 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी सुरजभान को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत के दिनांक 24.12.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:17:46 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर